



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

111
2-9/6/89

सं. 40]
No. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 1989/पौष 29, 1910
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 1989/PAUSA 29, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1989

का. प्रा. 85(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आखंडन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आखंडन) (दो सौवां संशोधन) नियम, 1989 है।
- (2) ये सुरक्षित प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आखंडन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “नागर विमानन और पर्यटक मंत्रालय” शीर्षक के अधीन

“क. नागर विमानन विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“23. वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) का प्रशासन।

24. सिविल उपयोग के लिए वायुयान का उत्पादन।

25. सिविल वायुयान के उपयोग के लिए तकनीकी अनुकूलियां/प्रमाणपत्र/अनुमोदन जारी करना।”;

(ख) “वाणिज्य मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “(क) वाणिज्य विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि

12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“12क. विदेशों में विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने में सहायता के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व।”;

(ग) “ऊर्जा मंत्रालय” शीर्षक के अधीन:—

(i) “विद्युत विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“2. अनुसंधान विकास, तकनीकी सहायता और जल-विद्युत और ऊष्मीय शक्ति से संबंधित सभी मामले (3 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लघु/सूक्ष्म हाइड्रल परियोजनाएं और भूतापीय ऊर्जा)।”;

(ii) “ग. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“4. 3 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लघु/सूक्ष्म हाइड्रल परियोजनाएं और भूतापीय ऊर्जा।”;

(घ) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “क. औद्योगिक विकास विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“6क. सिविल विमानन विभाग और रक्षा उत्पादन और प्रवाय विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियों का जारी करना।”;

(ङ) “योजना मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “ख. सांख्यिकी विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1. सांख्यिकी के क्षेत्र में, आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण की संकल्पना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिमाणों का प्रसार अन्तर्बलित करते हुए प्रमाणों और मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण।

2. भारत सरकार के विभागों के संबंध में या तो आंकड़ों की उपलब्धता में किसी अंतरात्म्य की विद्यमानता को या सांख्यिकी कार्य के द्विगुणीकरण को पहचानने की

दृष्टि से सांख्यिकी कार्य का समन्वय करना और आवश्यक उपचारों उपायों का सुझाव देना।

3. सांख्यिकी कार्य प्रणाली की दायत और संगृहीत आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना।

4. भारतीय सांख्यिकी सेवा का प्रबंध करने के केन्द्रीकृत पहलू और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, कैरियर विषयक योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय।

5. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।

7. संगणक (कंप्यूटर) केन्द्र।

8. भारतीय सांख्यिकी संस्थान।”;

(च) “मंत्रिमंडल सचिवालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“3. लोक शिकायत निदेशालय—रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और आर्थिक कार्य विभाग के बैंककारी विभाग और ऐसे अन्य केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों के संबंध में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, शिकायतें।”।

प्रार. चेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/89-मंत्रि.]

बी. बी. टंडन, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1989

S.O. 85(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundredth Amendment) Rules, 1989.

2. They shall come into force at once;

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (NAGAR VIMANAN AUR PARYATAN MANT-RAILWAY)”, under sub-heading “A DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

(NAGAR VIMANAN VIBHAG)", after entry 22, the following entries shall be inserted, namely :-

"23. Administration of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934).

24. Production of aircraft for civil use.

25. Issuing of technical licences|certificates|approval for the use of civil aircraft.";

(b) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", after entry 12, the following entry shall be inserted, namely :-

"12A. Nodal responsibility in relation to assistance in establishing various industries in foreign countries.";

(c) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (BORJA MANTRALAYA) ":-

(i) under sub-heading "B. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)", for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :-

"2. Research, development, technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power (except mini|micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geo-thermal energy).";

(ii) under sub-heading "C. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (GAIR-PARAM-PARJKOORJA SROTA VIBHAG)", after entry 3, the following entry shall be added namely :-

"4. Mini|Micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geo-thermal energy.";

(d) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", after entry 6, the following entry shall be inserted, namely :-

"6A. Issue of licences for establishment of industries for production of civil aircraft to

be made in consultation with the Department of Civil Aviation and Department of Defence Production and Supplies.";

(e) under the heading "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

1. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.

2. Coordination of statistical work with a view to identifying the existence of either gaps in data availability or the duplication of statistical work in respect of the Departments of the Government of India and to suggest necessary remedial measures.

3. Advise the Departments of the Government of India regarding the statistical methodology and on statistical analysis of collected data.

4. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for that service.

5. Central Statistical Organisation.

6. National Sample Survey Organisation.

7. Computer Centre.

8. Indian Statistical Institute.";

(f) under the heading "CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYAT)", after entry 2, the following entry shall be added, namely :-

"3. Directorate of Public Grievances—Grievances in respect of Ministry of Railways, Department of Posts, Department of Telecommunications and Banking Division of the Department of Economic Affairs and of such other Central Government agencies as may be specified from time to time.".

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[No. 74|2|1|89-Cab.]

B. B. TANDON, Jt. Secy.

